

3968



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 999982



किरायानामा

	कार्यालय	उपनिबन्धक	मछलीशहर	जौनपुर
1.	दस्तावेज का प्रकार	—	लीज (डीड)	
2.	सम्पत्ति का पता	—		
	ग्राम	—	वादशाहपुर	
	परगना	—	मुँगरा	
	तहसील	—	मछलीशहर	
	जनपद	—	जौनपुर (उ०प्र०)	
3.	किराया प्रति माह	—	500 /—रु०	
4.	किराया वार्षिक	—	1500 /—रु०	
5.	लीज की अवधि	—	30 वर्ष तक	
6.	अदा स्टाम्प	—	1500 /—रु०	



-1-

[Handwritten signature]

1978 राज्य विधान की तिथि 27-6-2022

राज्य कार्य करने का प्रयोजन के लिए

राज्य सेवा का नाम व पूरा पता

1000

समाकेता लॉट नो 158
से 202 से 202
महो पदिसर मछलीवाहर जैनपुर

कमायु 1921
लोनपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 337848

7. सम्पत्ति का विवरण -

आ0नं0-311/4/0.162 हे0 311/5/0.049 हे0 कुल 2गाटा/0.211 हे0 सम्पूर्ण अंश व आ0नं0-311/1/0.154 हे0, 351/0.0146, 352/0.016 हे0 3गाटा/0.316 हे0 में 1/3 भाग यानी 0.105 हे0, कुल 5 गाटा/0.316 हे0 यानी 3160 वर्ग मीटर (एकतीस सौ साठ वर्ग मीटर) का किराया/लीज किया।



8. चौहददी

पूरब - खेत अकील कफील अहमद आदि
 पश्चिम - खेत पूर्णमाशी आदि।
 उत्तर - जय बजरंग महिला महाविद्यालय
 दक्षिण - खेत अकील कफील अहमद आदि

प्रथम पक्ष का नाम व पता	द्वितीय पक्ष का नाम व पता
जय बजरंग महिला महाविद्यालय प्रबन्धक मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर बजिरए मुख्यन्याशी श्री घनश्याम मिश्र चैरिटेबल ट्रस्ट, घनश्याम मिश्र पुत्र सभापति मिश्र, जय बजरंग प्रेस कमालपुर मुंगरा बादशाहपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर मो0नं0-9451337451	श्री घनश्याम मिश्र चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्यन्याशी घनश्याम मिश्र पुत्र सभापति मिश्र निवासी जय बजरंग प्रेस कमालपुर मुंगरा बादशाहपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर मो0नं0-9451337451

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

चूँकि हम प्रथम पक्ष की एककिता आराजी भूखण्ड मौजा-कस्बा बादशाहपुर परगना मुँगरा तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर में स्थित है, जिसका मैं मालिक काबिज हूँ, उक्त आराजी हर प्रकार से पाक व साफ है, हम द्वितीय पक्ष श्री घनश्याम मिश्र चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्यन्याशी घनश्याम मिश्र पुत्र सभापति मिश्र निवासी कमालपुर मुँगरा बादशाहपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर उ०प्र० में शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता है उक्त प्रथम पक्ष भूमि देने को तैयार हैं उक्त भूखण्ड/भूमि पर द्वितीय पक्ष वजरिए मुख्यन्याशी घनश्याम मिश्र पुत्र सभापति मिश्र निवासी जय बजरंग प्रेस कमालपुर मुँगरा बादशाहपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर उ०प्र० में शिक्षण संस्थान से स्थापित करेगी।, जिसके कारण द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की उक्त जायदाद को किराये पर लेकर आवश्यकतानुसार अपने खर्चे पर निर्माण करेगा जिस पर हम प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं हैं हम प्रथम पक्ष खूब सोच समझकर बिना किसी दबाव नाजायज वखुशी व बरजामन्दी बदरुस्ती होश व हवाश अपने स्वस्थ्य दिमाग व आजाद राय से यह चन्द कलमा बतौर लीज (डीड) तहरीर कर दिया कि सनद रहे समय वक्त पर काम आवै।




तहसील आराजी वाका मौजा वादशापुर परगना मुँगरा
तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर की आ0नं0-311/4/0.162 हे0
311/5/0.049 हे0 कुल 2गाटा/0.211 हे0 सम्पूर्ण अंश व
आ0नं0-311/1/0.154 हे0, 351/0.0146, 352/0.016 हे0 3गाटा/0.
316 हे0 में 1/3 भाग यानी 0.105 हे0 , कुल 5 गाटा/0.316 हे0 यानी
3160 वर्ग मीटर (एकतीस सौ साठ वर्ग मीटर) हम प्रथम पक्ष ने उक्त
आराजी को द्वितीय पक्ष को किराये पर दिया है, उक्त लीज (डीड) के
बावत हम पक्षकार निम्न प्रकार से पावन्द रहेंगे।

1. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त आराजी का किराया 5,00/-रु0 (पाँच सौ रु0
) मासिक व वार्षिक किराया 6000 /-रु0 (छः हजार रु0) 30 वर्ष
तक प्रथम पक्ष को देता रहेगा।
2. यह कि प्रथम पक्ष लीज (डीड) पर भूमि द्वितीय पक्ष को श्री घनश्याम मिश्र
चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्यन्याशी घनश्याम मिश्र पुत्र सभापति मिश्र निवासी जय
बजरंग प्रेस कमालपुर मुँगरा बादशाहपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर
उ0प्र0 का शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए एवं भवन निर्माण के
साथ अन्य आवश्यक व्यवस्था भी करेगा।





3. इसके लिए प्रथम पक्ष अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को न तो कोई आपत्ति वर्तमान में है, न तो भविष्य में ही होगा।
4. यह कि लीज (डीड) की अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्षों की सहमति से लीज (डीड) का नवीनीकरण किया जा सकता है किन्तु उस दशा में उसका पुनः निबन्धन कराना अनिवार्य होगा।
5. यह कि लीज (डीड) वाली भूमि का किराया 30 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। 30 वर्ष बीत जाने पर किरायानामा पुनः समाप्त हो जायेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष चाहे तो विद्युत कनेक्शन ले सकता है, परन्तु उसका सम्पूर्ण व्यय बिल मरम्मत आदि खर्च का भुगतान द्वितीय पक्ष को स्वयं वहन करना होगा और लीज की ज़मीन को द्वितीय पक्ष को सबलीज करने का अधिकार होगा। जिसमें हम प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
7. यह कि आज की तारीख से हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष इस लीज (डीड) के आधार पर पॉवद रहेंगे।

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some text, including the number '28' and '45' at the bottom.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.



~~आधार-आम आदमी का अधिकार~~
~~ADHAR-AAM ADAMI KA ADHIKAR~~



घनश्याम मिश्र
Ghanshyam Mishra
जन्म तिथि/DOB: 18/02/1957
पुरुष / MALE



4712 0861 9485

आधार-आम आदमी का अधिकार



~~आधार-आम आदमी का अधिकार~~
~~ADHAR-AAM ADAMI KA ADHIKAR~~

पता:

आत्मज: यशोवति मिश्र,
कमलपुर (शय बजवंग प्रेस
मुंगरा कादशाहपुर), मुंगरा
कादशाहपुर, जौनपुर,
कमलपुर, जौनपुर,
उत्तर प्रदेश - 222202

Address:
S/O: Babuaji Mishra Kamalpur
(Jay Bajrang Press/Mungra
Bachhaipur), Mungra Bachhaipur,
Jounpur, Kamalpur, Jounpur,
Uttar Pradesh - 222202

4712 0861 9485

Adhar-Aam Admi ka Adhikar





सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



चंचल कुमार मिश्र
Chanchal Kumar Mishra
जन्म तिथि/DOB: 01/08/1977
पुरुष / MALE



8388 4987 0236

आधार-आम आदमी का अधिकार

चंचल कुमार मिश्र



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

Address:

पता:
श्रीधरजी चन्द्रश्याम मिश्र,
कल्याणपुर (जय गजराज प्रेम
मुंगरा बादशाहपुर), मुंगरा
बादशाहपुर, जौनपुर,
कमलपुर, जौनपुर,
उत्तर प्रदेश - 222202

S/O Chandhyam Mishra, Kamalpur
(Jay Gajraj pram Mungra
Badshahpur), Mungra Badshahpur,
Jampur, Kamalpur, Jampur,
Uttar Pradesh - 222202

8388 4987 0236

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

चंचल कुमार मिश्र



भारत सरकार
Government of India

अवधेश कुमार यादव
Awdhesh Kumar Yadav

जन्म तिथि / DOB : 01/01/1977
पुरुष / Male



8370 0650 3129

भाधार - आम आदमी का अधिकार



भारतीय विधिकृत पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता : आत्मज छोटे लाल यादव
रीस्ट नदीत, हमराजपुर, फूलपुर,
इलाहाबाद, फूलपुर, उत्तर प्रदेश,
211402

Address: S/O Chhote Lal Yadav, Post
Nandaula, Hamraipur, Phulpur,
Allahabad, Phoolpur, Uttar Pradesh,
211402

8370 0650 3129



801 200 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

अवधीश

मसविदाकर्ता-ललित मोहन तिवारी एडवोकेट मछलीशहर जौनपुर
टाइपकर्ता-संदीप मौर्य ललितमोहन तिवारी एडवोकेट
दिनांक -28/06/2022 रजि० 26/2002

ह० प्रथम पक्ष

.....

ह० द्वितीय पक्ष

.....

गवाह नं०-1 चंचल कुमार मिश्र
चंचल कुमार मिश्र पुत्र घनश्याम मिश्र
निवासी कमालपुर मुंगरा बादशाहपुर परगना मुंगरा
तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर
मो०नं०- 9451117446



गवाह नं०-2 अवधेश
अवधेश यादव पुत्र छोटेलाल यादव
निवासी ग्राम हंसराजपुर प्रयागराज
मो०नं०- 9451117446



.....

.....

आवेदन सं०: 202200983004919

पृष्ठ संख्या 1 जिल्द संख्या 5309 के पृष्ठ 1 से 12 तक क्रमांक 3968 पर दिनांक 28/06/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



श्रीमती नवनीता सिंह
उप निबंधक : मछलीशहर
जौनपुर
28/06/2022

